न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी:—गौरव कुमार मित्तल (आर0ए0एस0)

मु0न0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
25 / 2022	20.05.2022	02.01.2026

1. गोत्तमलाल पुत्र गोपीलाल उम्र 60 वर्ष जाति महाजन निवासी जुवाड तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. श्योप्रसाद पुत्र गोपीलाल उम्र 62 वर्ष जाति महाजन निवासी जुवाड तहसील व जिला सवाई माधोपुर

प्रार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर
2. महेंद्र पुत्र रामप्रसाद उम्र 22 वर्ष
3. मोत्या देवी पत्नी फूल्या उम्र 62 वर्ष (फौत)
4. रेखाबाई पुत्री रामप्रसाद उम्र 25 वर्ष
5. रीना बाई पुत्री रामप्रसाद उम्र 18 वर्ष
6. राजूलाल पुत्र रामप्रसाद उम्र 27 वर्ष
7. सन्तरा पत्नी रामप्रसाद उम्र 55 वर्ष
8. सीमा पुत्र फूल्या उम्र 35 वर्ष
9. हजारी पुत्र फूल्या उम्र 50 वर्ष समस्त जातियान बैरवा निवासीयान जुवाड तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(ए) आर0टी0एक्ट0

उपस्थित:—

1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा एड0 प्रार्थी की और से।

:— निर्णय —:

प्रार्थीगण ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(ए) आर0टी0एक्ट0 पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण राजस्व ग्राम जुवाड तहसील सवाई माधोपुर के मूल निवासी साथ—साथ काश्तकार पेशा व्यक्ति है। प्रार्थीगणों के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि राजस्वग्राम जुवाड के खाता संख्या 79 में स्थित कृषि भूमि खसरा नं० 225 रकबा 2.48 है०, ख0न0 510 रकबा 0.38 है०, ख0न0 511 रकबा 0.40 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.26 है0 किस्म बारानी2 राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2076 से सम्वत् 2079 को प्रार्थीगणोंके नाम से दर्ज है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र केसाथ संलग्न है। ट्रेसशीट के अनुसार मौके पर विवादित भूमि एक चके के रूप में स्थित है। ट्रेसशीट की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2026.01.09 17:03:59 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

संलग्न है। नजरी ट्रेसशीट में दर्शित कदीमी रास्ता खसरा नं० 600/2425 में होकर मेघा हाईवे से ग्राम जुवाड को जा रहा है। खसरा नं0 508 रकबा 0.30 है0 किस्म सिवायचक लगानी एवं खसरा नं0 507 रकबा 0.78 है0 किस्म बारानी 3 के सहारे होकरहमेशा से प्रार्थीगण कृषि कार्य हेतु आते जाते रहे है, लेकिन मौके पर गैर मुमकीन रास्ता दर्ज नही है, लेकिन मौके पर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज नही होने के कारण विपक्षीगण 2 लगायत 9 प्रार्थीगणों के खातेदारी की कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर इत्यादि जुताई, बुआई के समय विपक्षीगण बाधा उत्पन्न करते है। प्रार्थीगण स्वर्णजाति के व्यक्ति है। जबकि विपक्षीगण 2 लगायत9 अनुसूचित जाति के व्यक्ति होने के कारण मुकदमें बाजी होने की सम्भावना भी पैदा हो गई है। मौके पर खसरा नं० 600/2425 रकबा 0.15 है0 किस्म बंजड भूमि जमाबन्दी में दर्ज है एवं मौके पर सार्वजनिक रास्ता बना हुआ है। नजरी ट्रेसशीट में लाल लाईन दर्शित 15 फुट चौडा रास्ता प्रार्थीगणों को खातेदारी की कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिये रास्ते की आवश्यकता है नजरी शीट से स्पष्ट है कि उक्त नजरीट्रेस शीट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगणों को कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिये सबसे कम दूरी का एवं सब से सुविधाजनक रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है। इसलिये प्रार्थीगणों को खातेदारी कीकृषि भूमि खसरा नं0 225, 510, 511 में आने जाने के लिये विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नही होने के कारण प्रार्थीगणों की ओर से खातेदारी की कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिये रास्ता उपलब्ध करवाये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है। उपरोक्त विवाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में दिनांक 15.05.2022 को विपक्षीगण एक राय होकर मौके पर आ गये एवं जोते के लिये ट्रेक्टर लेकर जा रहे थे उसको रोकने की धमकी दी, प्रार्थी ने काफी हाथा जोडी की एवं कहा कि मेरा ट्रेक्टर सिवायचक भूमि में होकर जा रहा है, आप रोकने वाले कौन होते हो इतना कहते ही विपक्षीगण नाराज हो गये। इसलिये न्यायालय हाजा की शरण लेकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है एवं विपक्षीगणों ने जमीन के बदले रास्तेके लिये जमीन देने से भी इन्कार कर दिया। हाल ट्रेस शीट के अनुसार खसरा नं0 508 रकबा 0.30है० किस्म बारानी 3 सिवायचक भूमि में होकर खातेदारी की कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतु आने जाने का अन्य कोई रास्ते का विकल्प नही होने के कारण एवं खसरा नं0 508 रकबा 0.30 है० तहसीलदार, सवाई माधोपुर के स्वामित्व की होने के कारण तहसील सवाई माधोपुर को पक्षकार बनाया जा रहा है। खातेदारी का रास्ता नजरी ट्रेस शीट के अनुसार विपक्षीगणों के नाम से दर्ज ख नं0 507 रकबा0.78 है0 में होकर भी दर्शा रखा है इसलिये विपक्षीगण को पक्षकार बनाया गया है। अतः श्रीमान् जी की सेवामें प्रार्थना पत्र बाबत खातेदारी की कृषि भूमि राजस्व ग्राम जुवाड के हाल खाता संख्या 79 में अंकित कृषि भूमि खसरा नं0 225, 510, 511 में कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिये रास्ता उपलब्ध करवाये जाने हेतु अन्तर्गत धारा 251–ए आर0टी0 एक्ट मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार स०मा० से मौके की तथ्यात्मक मौका

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kum
Date: 2026.01.09 17:03:50 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

रिपोर्ट तलब की जाकर खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं० 225 रकबा 2.48 है०, ख०न० 510 रकबा 0.38 है०, ख0नं0 511 रकबा 0.40 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.26 है0 में कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिये खसरा नं0 507 रकबा 0.78 है0 एवं खसरा नं0 508 रकबा 0.30 है0 में से नजरी ट्रेसशीट में दर्शित लालरंग से दर्शाई गई 15 फुट चौडा रास्ता उपलब्ध कराया जायें। प्रार्थीगण रास्ते के उपयोग की कृषि भूमि की डी०एल०सी० दर से दुगनी राशि जमा करवाने को तैयार है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गयी। अप्रार्थीगण संख्या 7 की बाबजूद तामिल होने पर उपस्थित नही होने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी संख्या 3 फौत होने तथा उसके वारिसान रिकार्ड पर होने के कारण अप्रार्थी संख्या 3 का नाम हजफ किया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 4 लगायत 8 द्वारा प्रकरण में जवाब पेश नही करने के कारण उनका जवाब बंद किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 9 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया जिसमें प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अधिकाशः मदो को अस्वीकार किया तथा विशेष विवरण में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 508 रकबा 0.30 हैक्0 पर तीन पीडी से विपक्षीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है जो करीबन 20 वर्ष पूर्व सेटलमेंट में हमारी खातेदारी को अदल बदल कर दिया है जिसका न्यायालय में केश विचाराधीन है। विपक्षीगण को 508 रकबा 0.30 हैक्0 से हटाकर खसरा नम्बर 728 रकबा 0.26 हैक्0 पर बिठा दिया है जो विपक्षीगण की जमीन से दूर है तथा इस नम्बर पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा काश्त है जिसको सही करने के लिए विपक्षीगण ने समक्ष न्यायालय में दावा पेश कर रखा है जो सही होने की पूरी उम्मीद हैं विपक्षीगण की आराजी खसरा नम्बर 508 रकबा 0.30 हैक्0 पर मिट्‌टी का डोल लगा रहा है तथा विपक्षीगण की सरसब्ज फसल सरसो खडी है। विपक्षी का करीबन 70–80 वर्षो से 508 रकबा 0.30 हैक्0 पर कब्जा काश्त चला आ रहा है पूर्व में यही आराजीयात विपक्षीगण के बडे दादा देव्या पुत्र जैराम बैरवा के खातेदारी में थी तब से आज तक विपक्षीगण का उक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त है तथा चारो तरफ मिट्‌टी की डोल लगाकर तार फेन्सिंग करके तीन पीढियों से कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रकरण में प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर से तलब की गयी। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रि[illegible] अंकित किया है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड से ख0न0 225 रकबा 2.4[illegible] ख0न0 510 रकबा 0.38, ख0न0 511 रकबा 0.40 किता 3 रकबा 3.26 की खाते[illegible] गोतमलाल पुत्र गोपीलाल हि 1/2 श्योप्रसाद पुत्र गोपीलाल हि0 1/2 जाति महाजन सा0 देह के दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान में प्रार्थी ख0न0 238, 23[illegible] की मेड की सतह पर होकर आते जाते है। प्रार्थी के खेत के निकटतम दूरी से कटारी रास्ता कोटा मेगा हाईवे से जुवाड तक जाने वाला रास्ता पडता है। प्रार्थी व अन्य पडौसी खातेदारान द्वारा ख0न0 747 किस्म गै0मु0 नाला का

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav K Mittal
Date: 2026.01.09 17:03:50
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उपयोगर कर अपने खेतो पर आते जाते है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड से अन्य कोई रिकोर्डेड रास्ता नहीं है। भूमि सिवायचक है। मौके पर किसी के वृक्ष नहीं है। मौके पर ख0न0 507, 508 की मध्य की मेड पर आते जाते है। वर्तमान में उक्त आवागमन बंद है। ख0न0 508 रकबा 0.30 है0 सिवायचक लगानी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण सिवायचक भूमि में से 15 फीट चौडाई में रास्ता लेना चाहते है। प्रार्थीगण द्वारा ख0न0 600/2425 को वाद पत्र में अंकित कर मेगा हाईवे से जुवाड को जाने वाला कदीमी रास्ता का जिक किया है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड से ख0न0 660/2425 रकबा 0.15 किस्म बंजड सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक रिकार्ड के नक्शे में रास्तानुमा आकृति बनी हुई है तथा मौके पर भी रास्ता बना हुआ है लेकिन रिकार्ड में उक्त आराजीयात की किस्म गै0मु0 रास्ता अंकित नहीं कर बंजड इत्यादि अंकित है। प्रार्थी को ख0न0 508 में से प्रस्तावित रास्ते के पश्चात ख0न0 600/2333 रकबा 0.14 किस्म बंजड पडता है। जिसकी लंबाई 328 फीट व चौडाई 15 फीट के अनुसार 4920 वर्गफीट बनता है। जिसका क्षेत्रफल 457 वर्ग मी0 है जो मुताबिक राजस्व रिकार्ड से अजयसिंह, विजयसिंह, पि0 रामेश्वर प्रसाद सुगन देवी पत्नी स्व0 रामेश्वर प्रसाद जाति अहीर सा0 देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा उक्त खातेदारान को वाद पत्र में रास्ते के लिये पक्षकार नहीं बनाया गया है। उसके पश्चात ख0न0 747 रकबा 0.95 किस्म गै0मु0 नाला पडता है। जिसमें से होकर ग्रामवासी अपने खेतों पर आते जाते है। इसके अलावा अन्य कोई रिकोर्डेड रास्ता नहीं है तथा निकटतम रास्ता भी यही पडता है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की लंबाई 262 फीट एवं चौडाई 15 फीट है अर्थात 365 वर्गमी0 क्षेत्रफल है।

प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सूनी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया है कि प्रार्थी ग्राम जुवाड में निवास करता है तथा खातेदारी के ख0न0 225 रकबा 2.48, ख0न0 510 रकबा 0.38, ख0न0 511 रकबा 0.40 किता 3 रकबा 3.26 की खातेदारी गोतमलाल पुत्र गोपीलाल हि 1/2 श्योप्रसाद पुत्र गोपीलाल हि0 1/2 जाति महाजन सा0 देह के दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण को जाने आने एवं ट्रेक्टर ट्रोली ले जाने के कारण खसरा नम्बर 508 रकबा 0.30 हैक0 सिवायचक में रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी पहले इसी भूमि में होकर प्रार्थी के खेतों पर जाने के लिये रास्ता बना हुआ था। प्रार्थी को 15 फिट का रास्ता उपयोग व उपभोगता करता चला आ रहा है दिलवाने की कृपा करें।

पत्रावली में वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपनी ग्राम जुवाड में खातेदारी भूमि ख0न0 225 रकबा 2.48, ख0न0 510 रकबा 0.38, ख0न0 511 रकबा 0.40 किता 3 रकबा 3.26 हैक0 में 15 फीट चौडा रास्ता राजस्व जुवाड के खसरा नम्बर 508 रकबा 0.30 हैक0 मे से 15 फीट चौडा एवं 262 लम्बाई का रास्ता चाहा गया है। जिसका समर्थन तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट द्वारा किया गया है। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिर्पोट में अंकित किया है कि उक्त खसरा नम्बर ही प्रार्थीगण की खातेदारी में पहुचने के लिए मौके की स्थिति के अनुसार नजदीक व सुविधाजनक होगा। अन्य जगह में

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav K
Date: 2026.01.09 17:03:50
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

रास्ता दिया जाना सम्भव नही होगा। उक्त सम्बन्ध में तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थी के खेत के पास से गुजरने वाला स्वीकृत कोई रास्ता नही है। अतः राजस्व ग्राम जुवाड के खसरा नम्बर 508 मे से 4.57 मीटर चौडा तथा 79.88 मीटर लम्बाई का रास्ता दिया जाना उचित होगा जो प्रतिवादीगणो की खातेदारी भूमि होने से प्रार्थीगण को डी0एल0सी0 की दर से भुगतान देय होगा। तहसीलदार सवाई माधोपुर से प्राप्त फर्द मौका धारा 251 ए आरटीएक्ट में अंकित किया है कि प्रार्थी के पास साधन निकालने का अन्य कोई रास्ता नही है तथा अन्य कोई पेड या खचार्ज नही है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) का अवलोकन किया उक्त धारा के अनुसार " कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाईपलाईन विछाना चाहता है या कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति उनकी जोतो तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय नही होता है तो एक अभिधारी या यथास्थिति अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उप–खण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगें उप–खण्ड अधिकारी यदि संक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –(यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और जोत केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है और अन्य खातेदार की जोत मे से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है।)" आवेदन को अभिधारी जो उसे भूमि को धारित करता है, दर्शित लाईन के सा–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे बिछाने एवं एक नया मार्ग तीस फुट से अधिक चौडा न हो बनाने एवं विद्यमान मार्ग को तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौडा करने के लिए अभिधारी को उसे उस भूमि का धारित करता है जिसमें से होकर पाईपलाईन बिछाने या नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जायेए ऐस संदाय पर जो विहित रीति से उप–खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जायें" उक्त रास्ते के संदर्भ में तहसीलदार सवाई माधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट एवं परिशिष्ट ए में समर्थन किया है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

:– कियात्मक आदेश –:

प्रार्थी का 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 510 ग्राम जुवाड तहसील व जिला सवाई माधोपुर में स्थित है। उक्त भूमि तक जाने के लिए वाके राजस्व ग्राम जुवाड के खसरा नम्बर 508 रकबा 0.30 हैक0 किस्म सिवायचक लगानी मे से 4.57 मीटर चौडा तथा 79.88 मीटर लम्बाई जो संलग्न नक्शा ट्रेश है उसे सिवाय चक बिना लगानी के नाम से दर्ज कर अमल करे एवं संलग्न नजरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav K Mittal
Date: 2026.01.09 17:03:50
Reason: Self Attested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

नक्शें अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम करें। रास्ते मे आने वाले ग्राम जुवाड की सिंचित भूमि की डी0एल0सी0दर 1200000 लाख प्रति है0 है जिसके अनुसार रास्ते के उपयोग में होने वाली भूमि का कुल रकबा 0.0365 होता है उक्त भूमि की राशि 1200000 x 0.0365 =43800 की दूगनी राशि 87600 होती है। उक्त राशि को प्रार्थी को राज्य सरकार के खाते मे जमा करानी होगी। खाते में जमा करवाकर राजस्व नक्शे मे संलग्न नक्शे ट्रेश के अनुसार रास्ता कायम किया जावें। प्रार्थीगण के आने जाने का रास्ता कायम कर रास्ता सुचारू करवाया जावे। निर्णय के साथ संलग्न नजरी नक्शें में लाल रंग से दर्शित स्थान पर रास्ता कायम करने के आदेश तहसीलदार सवाई माधोपुर को दिये जाते है निर्णय की प्रति तहसीलदार सवाई माधोपुर को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिला हो।

(गौरव कुमार मित्तल)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2026.01.09 17:03:50 IST
Reason: SelfAttested